

कार्यालय अधिल अधिकारी, कोडरमा।

की संतोष दास बगैर, सहाना रोड, कोडरमा

दिनांक सं. 54 / 2016-17


संख्या

की संतोष दास बगैर, सहाना रोड, कोडरमा।

15/10/16

अधिल सहायक अधिल अधिकारी कोडरमा के पत्रांक 1112/200 दिनांक 16.07.16 के द्वारा आवेदक श्री संतोष दास बगैर, सहाना रोड कोडरमा का आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदकगण का कहना है कि श्री संतोष कुमार दा बगैर के द्वारा बिना किसी वैध कागजात के अवैध तरीके से मौजा शाहपुर के खाल सं. 13 की आवेदक की खानिदानी भूमि की अपने नाम दर्ज करवा लिया है। माननीय सम्बन्धित के न्यायालय के हाईकोर्ट संख्या 42/2004 में आवेदक के पक्ष में फैसला दिया गया है। इसी प्रकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोडरमा के न्यायालय में हाईकोर्ट अपील संख्या 15/2011 में भी संतोष कुमार दा बगैर हार हुई और मुकदमा खारिज कर दिया गया। आवेदकगण द्वारा प्रश्नगत भूमि का जमाबन्दी रद्द करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः उक्त भूमि से संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अधिल निरीक्षण से जांच प्रतिवेदन मांग किये।
अभिज्ञान दिनांक 26/11/16 को उपस्थापित करें।


अधिल अधिकारी,
कोडरमा।

26/11/16

अभिज्ञान उपस्थापित।

संज्ञक कर्मचारी एवं अधिल निरीक्षण का जांच प्रतिवेदन प्राप्त। जांच प्रतिवेदन के अनुसार मौजा शाहपुर खाल सं. 278 के अंतर्गत खाल सं. 13 खंड सं. 3, 12, 18 वगैर कुल एकत्र 6.19 एकड़ भूमि रैखी लाले की है जो वनरक्षक काल के दौरान खाल पेशवान लाले खाल के नाम से खारिज में दर्ज है। खारिज में खाल भिन्न का उल्लेख है।

संज्ञक सम्बन्धित का जमाबन्दी के अनुसार पंजी 11 के पृष्ठ सं. 20/1 पर संतोष कुमार दा के नाम से जमाबन्दी दर्ज है, जिसका खाल सं. 13 कुल एकत्र 6.01 एकड़ भूमि है। जमाबन्दी के प्रतिवेदन कोडरमा में पत्र सं. 32 से जांच है का उल्लेख है। जमाबन्दी पृष्ठ दिनांक 1976-77 का उल्लेख है। संज्ञक लाले पत्र सं. 1984-85 का उल्लेख लाले लाले पत्र सं. 2007-08 तक निर्गत है। प्रश्नगत भूमि का खारिज की खारिज के नाम से पंजी -11 में जमाबन्दी दर्ज नहीं है।

अतः उक्त पत्रों को खारिज जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नाम भेजे।

अभिज्ञान दिनांक 26/11/16 को उपस्थापित करें।


अधिल अधिकारी,
कोडरमा।

संख्या 17/2011 अधिलेख उपलब्ध है।

पृष्ठ संख्या 1/2

द्वितीय पक्ष भी और से जवाब दाखिल किया गया है। जिसमें बताया गया है कि मौजा शाहपुर, थाना नं० 279 के अर्न्तगत खाता नं० 13 की 4.91 एकड़ जमीन मूल मालिक कमला किकर सहाना से 2011-12 जमीन मुलेन्द्रनाथ दा ने अपने पुत्र अखय कुमार दा के नाम से हासिल कर आजीवन दखलदार रहे। अखय कुमार दा हासिल की गई जमीन से खाता नं० 13, प्लॉट नं० 17, 119, 199, रकबा 56 डी० जमीन विक्रय पत्र सं० 5855 दिनांक 18.07.61 को बोधी महतो और फकीर महतो को बेच दिया, जिसका दाखिल खारिज स्वीकार कर मालगुजारी रसीद निर्गत हुआ है। पुनः खाता नं० 13, प्लॉट नं० 41, रकबा 18 डी० और प्लॉट नं० 17 रकबा 7 डी० कुल रकबा 25 डी० जमीन बोधी महतो और फकीर महतो बेच दिया जिसका दाखिल खारिज स्वीकार कर मालगुजारी रसीद निर्गत हुआ है। द्वितीय पक्ष का यह भी कहना है कि संतोष दास वगैरह के पूर्वज खाता नं० 13 की जमीन पर अखण्डदास के उनके नाम धनश्याम चमार और शीको चमार था। वे लोग उस जमीन पर फसल उगाते थे और आधा बाटकर कमला किकर सहाना वगैरह को देते थे। जबतक जीवित रहे वे लोग बटाईदार के रूप में होती किये, उनके मरने के बाद उनसे बटाईदार का रिस्ता खत्म हो गया और उनके वारिसानों को उपरोक्त जमीन से कोई सरोकार नहीं रहा, बाद में मूल मालिक ने यह जमीन अखय कुमार दा को दे दिया, जिसमें अखय कुमार दा आजीवन दखलदार रहे उनके बाद उनके वारिस विप्ली सनत कुमार दा वगैरह तथा उनलोगों के खरीददार बोधी महतो वगैरह दखलदार हैं।

जबकि प्रथम पक्ष का कहना है कि श्री सनत कुमार दा वगैरह के द्वारा बिना किसी वैध कागजात के अवैध तरीके से मौजा शाहपुर के खाता नं० 13 की आवेदक की खातियानी भूमि की अपने नाम दर्ज करवा लिया है। माननीय सबजज के न्यायालय के टाईटल सूट संख्या 42/2004 में आवेदकगण के पक्ष में फैसला दिया गया है, जो इस प्रकार है- The suit be and shall decreed in favour of the plaintiffs and held and declared that the plaintiffs have Raiyati kayami, right and title over the Schedule B, land and the sale deed executed by Akhay kr. Da in favour of Fakir Mahto and Bodhi Mahto bearing sale deed no 5855 dated 18.07.1961 is illegal, invalid, null and void and not binding upon the plaintiffs and both the parties to bear their own costs.

इसी प्रकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोडरमा के न्यायालय में टाईटल अपील संख्या 15/2011 में भी श्री सनत कुमार दा वगैरह हार हुई और मुकदमा खारिज कर दिया गया। आवेदकगण द्वारा प्रश्नगत भूमि का जमाबन्दी रद्द करने हेतु अनुरोध किया गया है।


राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के अनुसार मौजा शाहपुर, थाना नं० 279 के अर्न्तगत खाता नं० 13, प्लॉट नं० 3, 12, 16 वगै० कुल रकबा 6.15 एकड़ भूमि रैयती खाते की है, जो धनश्याम चमार व शीखो चमार पेशान लक्षण चमार के नाम से खातियान में दर्ज है। खातियान में बटाई निशफ का उल्लेख है। वर्तमान पंजी 11 के पृष्ठ सं० 20/1 पर सनत कुमार दा के नाम से जमाबन्दी दर्ज है, जिसका खाता सं० 13 कुल रकबा 5.01 ए० भूमि है, जमाबन्दी के प्राधिकार कौलम में पंजी नं० 32 से आया है, का उल्लेख है। जमाबन्दी पृष्ठ दिनांक 1976-77 का उल्लेख है। प्रथम लगान रसीद वर्ष 1984-85 तथा वर्तमान लगान रसयीद वर्ष 2007-08 तक निर्गत है। प्रश्नगत भूमि का खातियानी व्यक्ति के नाम से पंजी -11 में जमाबन्दी दर्ज नहीं है।

4


सुनवाई के दौरान द्वितीय पक्ष को भूमि किस प्रकार हासिल है, से संबंधित दस्तावेज उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। प्रथम पक्ष द्वारा बताया गया कि पूर्व में अंचल कार्यालय के विविध केश नं० 18/2002-03 में सुनवाई के दौरान भी जमाबन्दी रैयत सनत कुमार दा को भूमि किस प्रकार हासिल है पंजी 11 में अंकित नहीं है।

अतः राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन एवं उभय पक्षों की ओर से दाखिल कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माननीय सबजज के न्यायालय के टाइटल सूट संख्या 42/2004 एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोडरमा के न्यायालय के टाइटल अपील संख्या 15/2011 में दिये गये फैसला के अनुपालन हेतु श्री सनत कुमार दा के नाम से वर्तमान पंजी 11 के पृष्ठ सं० 20/1 पर दर्ज जमाबन्दी को रद्द करने हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता, कोडरमा को भेजें।

03/1


अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

29/7/17 माननीय सबजज के न्यायालय के टाइटल सूट संख्या
42/2004 एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोडरमा के न्यायालय
के टाइटल अपील संख्या 15/2011 में दिये गए फैसला
के अनुपालन में वर्तमान अभिलेख संख्या
अंकित 30/1 के कार्रवाई में



29/7/17

अभिलेख लक्ष्मणपति।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता, कोडरमा के यहां से अभिलेख प्राप्त हुआ है। माननीय सबजज, कोडरमा के न्यायालय के टाईटल सूट संख्या 42/2004 तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोडरमा के न्यायालय के टाईटल अपील संख्या 15/2011 में दिये गये फैसले के महानजस एव भूमि सुधार उपसमाहर्ता, कोडरमा (दिनांक 29.07.17 का अनुपालन आदेश) के निर्देश के आलोक में द्वितीय पक्ष श्री अनंत कुमार दा वगैरह के नाम से वर्तमान पत्ती 11 के पृष्ठ सं० 20/1 पर कायम जमाबन्दी को रद्द करते हुए प्रधान पक्ष के पूर्वज घनश्याम चमार व भीखी चमार पेशरान लक्षण चमार के नाम से (जैसा कि सर्वे खातियान में नाम दर्ज है) जमाबन्दी दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही अख्य कुमार दा द्वारा खाता न० 13 प्लॉट न० 17 119, 199, रकबा 56 डी० जमीन विक्रय पत्र सं० 5855 दिनांक 18.07.81 को बोधी महतो और फकीर महतो को बेच दिया गया जिसका दाखिल खारिज स्वीकार कर मालगुजारी रसीद निर्गत हुआ है एव खाता न० 13, प्लॉट न० 47, रकबा 18 डी० तथा प्लॉट न० 17, रकबा 07 डी० कुल रकबा 25 डी० जमीन बोधी महतो और फकीर महतो को पुनः बेच दिया गया जिसका दाखिल खारिज स्वीकार कर मालगुजारी रसीद निर्गत हुआ है, को भी माननीय सबजज कोडरमा न्यायालय के टाईटल सूट तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोडरमा के न्यायालय के टाईटल अपील सूट में दिये गये फैसले व पारित आदेश के अनुरूप रद्द माना जाय।

अतः उपरोक्त आदेश के आलोक में राजस्व कर्मचारी को आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमि मीजा शाहपुर, थाना न० 279, खाता न० 13, प्लॉट न० 03, 12, 16 वगैरह (कुल 37 प्लॉट), कुल रकबा 6.15 एकड़, जो रैयती खाते की भूमि है, का घनश्याम चमार व भीखी चमार पेशरान लक्षण चमार के नाम से जमाबन्दी दर्ज कर मालगुजारी रसीद निर्गत करें तथा अनुपालन प्रतिवेदन अधोहरताक्षरी के समक्ष अविलम्ब प्रस्तुत करें।

अतः बाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।


31/07/2017
अंचल अधिकारी,
कोडरमा।